न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2014/168 दायर दिनांक 05.09.2014

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. मुन्नी देवी पत्नी दौलाराम जाति जाट निवासी सागुकंला जरिये खास मुख्त्यार दौलाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी सांगुकंला तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. गणेशाराम पुत्र अर्जुनराम 2. चेनाराम पुत्र अर्जुनराम जाति राईका निवासीगण सागुकंला तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयक डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री गणेशाराम प्रतिवादी सं0 01

—:: निर्णय ::—

दिनांक 14.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 एक ही गांव के है तथा संयुक्त खातेदार है। वादिनी इस समय अपने खरीद शुदा खेत मे ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रही है। इस समय वादीनी के पति दौलाराम भारतीय सेना में सर्विस करने के कारण उसकी नियुक्ति लेह लद्दाख में होने के कारण अपने मुकदमों की पैरवी करने में असमर्थ होने के कारण उसने अपनी धर्म पत्नी वादीनी मुन्नी देवी को तमाम मुकदमों की पैरवी करने हेतु खास मुख्त्यार नियुक्त किया है। जिसके हस्ताक्षरों की ई—मेल से प्रतिलिपि वाद के साथ संलग्न है और उनके द्वारा छुट्टी आते ही असल खास मुख्त्यारनामा पेश कर दिया जावेगा।

वादी ने खेत खसरा सं0 170/322 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा सरहद सागुकंला में से प्रतिवादी सं0 01 व 02 के भाई राजुराम की संयुक्त खातेदारी के खेत में से राजुराम के हिस्से व बंट की भूमि में से 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 21.04.2014 को खरीद की हुई है। उसी दिन वादी ने राजुराम को सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर जमीन का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया तब से लेकर आज दिन तक वादी अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज काश्त है तथा वर्तमान में वादी की अपनी खरीद शुदा हिस्से की भूमि में ग्वार मोठ की काश्त कर रखी है। विक्रेता राजुराम व उसके भाई प्रतिवादी सं0 01 व 02 के बीच पिताजी के द्वारा मौके पर भाई बंटवारा जो किया हुआ था जिसका नजरी नक्शा वाद के साथ संलग्न अनुसूची "अ" है जो इस वाद का अभिन्न भाग है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 की सहमति से खरीदने के बाद वादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

ने अपने खरीद शुदा भूमि पर चारों तरफ तारबंदी करते हुए सींवे निवें कायम कर दी। जिस पर वादी बिना रोक टोक के भोग उपभोग करता रहा है।

उपरोक्त खेत खसरा सं0 170/322 की भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 की संयुक्त खतोदारी का होने से तथा कानूनी रूप से राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 येन केन प्रकारण वादी को उसकी खरीद सुदा भूमि में मकान का निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे है। जबकि प्रतिवादी सं0 01 व 02 का वादी की खरीद सुदा भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा कानूनी रूप से नहीं बनता है।

प्रार्थना वादीनी है कि खसरा सं0 170/322 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा में से 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि माफिक नक्शा व पडौस बीच की नक्शे में दर्शाये अनुसार बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर खातेदारी वादीनी के पति दौलाराम का नाम अमल दरामद किया जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट केराप में पेश हुई। प्रतिवादी सं0 01 गणेशाराम उपस्थित। प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वादीनी का वाद संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार डिक्री किया जावें तो कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान्, वादी के वाद को डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद सागुकंला के खसरा सं0 170/322 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा अनुसूची "अ" निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **14.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट केराप में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2014/168**

दायर दिनांक **05.09.2014**

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. मुन्नी देवी पत्नी दौलाराम जाति जाट निवासी सागुकंला जरिये खास मुख्त्यार दौलाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी सांगुकंला तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. गणेशाराम पुत्र अर्जुनराम 2. चेनाराम पुत्र अर्जुनराम जाति राईका निवासीगण सागुकंला तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयक डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 R.T.Act.

दिनांक **14.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद सागुकंला के खसरा सं0 170/322 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा अनुसूची "अ" निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट केराप में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(मुहर: सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(मुहर: सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned by CamScanner